भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VII/159 RBE No.83/2020

No.E(P&A)II-2017/HW-1 New Delhi, dated 29.09.2020

**The General Managers/CAOs,**
**All Indian Railways & Production Units.**

**Sub:-Payment of Night Duty Allowance (NDA) pursuant to the recommendations of 7th Central Pay Commission-reg.**

++++++

Please refer to Board's letter of even number dated 08.03.2018 (RBE No.36/2018) whereby the rates for revision of Night Duty Allowance (NDA) have been issued.

2. The matter has been reviewed based on the orders received from DoPT, the nodal Deptt.of Govt. on NDA. The President is pleased to decide that the hourly rate of NDA shall be equal to {Basic Pay + Dearness Allowance)/200} which would be admissible to eligible categories of non-gazetted Railway Servants classified under chapter XIV of the Railway Act, 1989 read with the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 for work put in during the period from 2200 hrs to 0600 hrs. The ceiling of basic pay for entitlement of Night Duty Allowance shall be ₹43600/- per month. The rate should be worked out separately for each employee. The present formulation of weightage of 10 minutes for every hour of duty performed between the hours of 22:00 and 06:00 would continue.

3. The grant of NDA shall be subject to furnishing of a certificate by the supervisor concerned that Night Duty is essential.

4. These instructions will be applicable w.e.f 01.07.2017.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Hindi version is enclosed.

**(N.P.Singh)**
**Jt. Director, Estt.(P&A)**
**Railway Board**

**No.E(P&A)II-2017/HW-1** **New Delhi, dated 29.09.2020**

Copy forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

29/09/20

**For Member Finance, Railway Board**

Scanned with CamScanner

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

क्र.सं.पीसी-VII/59
सं.ई(पी एंड ए)II-2017/एचडब्ल्यू-1

आरबीई सं. 83/2020
नई दिल्ली, दिनांक: 29.09.2020

महाप्रबंधक/सीएओ,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान।

*****

कृपया बोर्ड के दिनांक 08.03.2018 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं.38/2018) का अवलोकन करें, जिसमें रात्रि ड्यूटी भत्ते की संशोधित दरें जारी की गई हैं।

2. रात्रि ड्यूटी भत्ते के बारे में सरकार के नोडल विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त आदेशों के आधार पर इस मामले की समीक्षा की गई है। राष्ट्रपति सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि 2200 बजे से 0600 बजे की अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ते के प्रति घंटा की दर (मूल वेतन+महंगाई भत्ता/200) के समान होगी, जो रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय XIV के अंतर्गत वर्गीकृत अराजपत्रित रेल सेवकों की चार कोटियों के लिए स्वीकार्य होगा। रात्रि ड्यूटी भत्ते की पात्रता के लिए मूल वेतन की अधिकतम सीमा 43,600/- रु. प्रति माह होगी। इसकी राशि प्रत्येक कर्मचारी के लिए पृथक रूप से तैयार की जाएगी। 2200 बजे से 0600 बजे के बीच की गई ड्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट की भारिता (वेटेज) का मौजूदा सूत्रीकरण जारी रहेगा।

3. संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा रात्रि ड्यूटी आवश्यक होने का प्रमाण-पत्र दिए जाने के अध्यधीन ही रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

4. ये निर्देश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते),
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एंड ए)II-2017/एचडब्ल्यू-1

नई दिल्ली, दिनांक: 29.09.2020

प्रतिलिपि अग्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा सं.222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

Scanned with CamScanner